न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 104/2016
दायरा तिथि : 27.12.2016
निर्णय तिथि : प्राथमिक डिक्री दि0 09.06.2017 फाईनल डिक्री दिनांक : 12-9-2019

वादी :-
पन्नाराम पुत्र समनाजी जाति सीरवी
निवासी माताजी वाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

प्रतिवादीगण :-

1. चुन्नीलाल उर्फ चेना उर्फ चुना पुत्र कानारामजी
2. कानाराम पुत्र लुम्बाजी
3. बाबुलाल पुत्र कानारामजी
4. श्रीमति पोनी पत्नि भूरारामजी जातिगण सिरवी
   निवासीगण माताजी वाडा तहसील बाली
5. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :-

1. श्री गणपतलाल चौधरी — अभिभाषक वादी की और से
2. श्री अमृत परिहार — अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से
3. तहसीलदार,बाली — पैरोकार सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: : **निर्णय** : : दिनांक : 12-9-2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। वादी ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर ग्राम माताजी वाडा तहसील बाली में स्थित निम्न वर्णन की भूमियो में वादी का निहित 1/2 हिस्सा अनुसार विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया:-

खाता संख्या-51

खसरा नंबर	रकबा	किस्म भूमि
609	0.15	बारानी दोयम
615	2.41	बारानी दोयम
616	2.00	बारानी दोयम
617	1.75	बारानी दोयम
618	3.50	बारानी दोयम
कुल रकबा	9.81 हैक्टर	

उपरोक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा वादी पन्नाराम पुत्र समनाजी का, 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक का, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या-02 का एवं 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 का खातेदारी में दर्ज हैं।

खाता संख्या-52

खसरा नंबर	रकबा	किस्म भूमि
688	1.96	बारानी दोयम
389	1.70	बारानी दोयम
690	0.54	बारानी दोयम
691	1.05	बारानी दोयम
कुल रकबा	5.25 हैक्टर	

उपरोक्त कृषि भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-01 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का दर्ज हैं।

खाता संख्या-121

खसरा नंबर	रकबा	किस्म भूमि
685	2.93	बारानी दोयम
687	9.31	बारानी दोयम
कुल रकबा	12.24 हैक्टर	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार.......02

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 104/2016 अनवान पन्नाराम बनाम चुन्नीलाल उर्फ चेना उर्फ चुना वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उक्त खाता संख्या 121 की भूमि में 1/2 हिस्सा वादी का एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–01 का एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–03 की खातेदारी का दर्ज हैं।

खाता संख्या–131

खसरा नंबर	रकबा	किस्म भूमि
683	4.80	बारानी दोयम
684	6.00	बारानी दोयम
कुल रकबा	10.80 हैक्टर	

इस कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा वादी का एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–04 का खातेदारी का दर्ज हैं।
वादी ने इन तमाम खातो की कृषि भूमियों का रेकर्ड में दर्ज खातेदार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भौतिक रूप से बंटवाडा काफी वर्षो पुर्व होने एवं माफिक बंटवाडा वादी के हक बंट की भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हक बंट की भूमि पर प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होने से प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार वादी के हिस्से बंट की भूमि के संबध में विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया। अपने वादपत्र में वादी के हिस्से बंट की भूमि को वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा में आसमानी रंग से तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के बंट कब्जे की भूमि **नक्शा में हल्का हरे रंग से** एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से बंट की भूमि में आने जाने के लिये रास्ता प्रयोजन रखी गई भूमि को गहरे काले रंग से दर्शाते हुये वादी के बंट कब्जे में में निम्नानुसार भूमि हांना वर्णित किया:–

खसरा नंबर	रकबा	किस्म भूमि
609	0.15	बारानी दोयम
615 मेंसे	0.72	बारानी दोयम
615 मेंसे	0.75	बारानी दोयम
616	2.00	बारानी दोयम
617 मेंसे	0.34	बारानी दोयम
618 मेंसे	1.93	बारानी दोयम
688 मेंसे	0.60	बारानी दोयम
689 मेंसे	0.60	बारानी दोयम
690	0.54	बारानी दोयम
691	1.05	बारानी दोयम
685 मेंसे	1.58	बारानी दोयम
687 मेंसे	3.15	बारानी दोयम
683 मेंसे	1.27	बारानी दोयम
683 मेंसे	1.63	बारानी दोयम
684 मेंसे	2.27	बारानी दोयम
कुल खसरा–15	18.76 हैक्टर	

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगाय 04 के संयुक्त बंट में रखी गई भूमि, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 लगाय 04 का 1/2 हिस्सा रहेगा, परन्तु उक्त भूमि केवल रास्ते प्रयोजन के लिये छोडी गई, जिसका विवरण इस प्रकार बताया:–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म भूमि
615 मेंसे	0.09 हैक्टर	बारानी दोयम
617 मेंसे	0.03 हैक्टर	बारानी दोयम
618 मेंसे	0.04 हैक्टर	बारानी दोयम
685 मेंसे	0.11 हैक्टर	बारानी दोयम
683 मेंसे	0.04 हैक्टर	बारानी दोयम
684 मेंसे	0.20 हैक्टर	बारानी दोयम
कुल खसरा–06	कुल रकवा–0.51 हैक्टर	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी पाली, जिला-पाली (राज.)

...अधिकारी, पाली

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 104/2016 अनवान पन्नाराम बनाम चुन्नीलाल उर्फ चेना उर्फ चुना वगैरा

अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादग्रस्त भूमियों का पक्षकारो के मध्य काफी वर्षो पुर्व मौके पर भौतिक रूप से बंटवाडा किये जाने तथा पक्षकार अपने-अपने हिस्से बंट की भूमियों पर काबिज होने से वादी के हिस्से बंट की भूमि का वादी को खातेदार घोषित करने तथा रास्ता प्रयोजन संयुक्त रूप से रखी गई भूमि में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुये इसी अनुसार विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से वकील श्री अमृत परिहार द्वारा उपस्थिति दी गई तथा प्रतिवादी संख्या-03 की ओर से श्री नरपतसिंह श्री सेला द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रतिवादी संख्या-04 की ओर से किसी अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई। प्रकरण न्यायालय में लंबित रहते हुये राज्य सरकार द्वारा राजस्व लोक अदालतो का कार्यक्रम निर्धारित किये जाने से पत्रावली दिनांक 09.06.2017 को राजस्व लोक अदालत, मौखमपुरा में सुनवाई के लिये रखी गई, जिसमें पक्षकारो को लोक अदालत के नोटिस न्यायालय द्वारा जारी किये गये, जिन नोटिसो की तामील होने से पत्रावली नियत कार्यक्रम अनुसार दिनांक 09.06.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार, 2017 केम्प कोर्ट, मौखमपुरा में सुनवाई पर ली गई। केम्प मौखमपुरा में वादी एवं प्रतिवादी चुन्नीलाल व्यक्तिशः उपस्थित हुये, तथा प्रतिवादी संख्या-04 की ओर से उसके पति श्री भूराराम उपस्थित हुये शेष प्रतिवादी संख्या 02 व 03 बावजुद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी पक्ष को मजमा-ए-आम में सुना गया। उपस्थित पक्षकारो यथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या-01 एवं प्रतिवादी संख्या-04 के पति ने मौके पर R.I., पटवारी को भेजकर 1/2, 1/2 हिस्सा अनुसार विभाजन किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की। जिससे उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी पक्षकारो की सहमति से वादपत्र में वर्णित खाता संख्या-51, 52, 121 एवं 131 की भूमियों के संबध में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश मजमा-ए-आम में केम्प मौखमपुरा में पारित किये गये। न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली से विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त किये गये। तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/2017/2657 दिनांक 05.12.2017 से निम्नानुसार विभाजन रिपोर्ट पेश की:-

क्र0सं0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	नक्शा में रंग
1	पनाराम पुत्र चमना कौम सीरवी सा. देह खातेदार रहन **S.B.I** शाखा रानी मुर्तहीन	609	0.15	बारानी द्वितीय	0.75	हल्का आसमानी
		615/2	0.75	बारानी द्वितीय	3.75	
		616	1.96	बारानी द्वितीय	9.80	
		617	0.34	बारानी द्वितीय	1.70	
		618	1.93	बारानी द्वितीय	9.65	
		683/2	1.27	बारानी द्वितीय	6.35	
		683/4	1.43	बारानी द्वितीय	7.15	
		684/3	2.47	बारानी द्वितीय	12.35	
		685	1.58	बारानी द्वितीय	7.90	
		687/1	3.15	बारानी द्वितीय	15.75	
		688/1	0.60	बारानी द्वितीय	3.00	
		689/1	0.60	बारानी द्वितीय	3.00	
		690	0.54	बारानी द्वितीय	2.70	
		691	1.05	बारानी द्वितीय	5.25	
	कुल खसरा-	14	17.82 हैक्ट.	-	89.10	

2	चुन्नीलाल उर्फ चेना उर्फ चुना पुत्र कानाराम कानाराम पुत्र लुम्बाजी बाबुलाल पुत्र कानाराम श्रीमति पोनी पत्नी भूराराम कौम सीरवी सा. देह खातेदार	615	0.70			लाल रंग
		615/1	0.87			
		617/2	1.38			
		618/2	1.53			
		683	0.35			
		683/3	1.51			
		683/5	0.20			
		684	1.22			
		684/2	0.66			
		684/4	1.45			
		685/1	1.31			
		687	1.18			
		687/3	4.84			
		688	1.36			
		689	1.10			
	कुल खसरा-	15	19.67 हैक्ट.	-	98.35	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली (राज.)

उप-खण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार........04

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 104/2016 अनवान पन्नाराम बनाम चुन्नीलाल उर्फ चेना उर्फ चुना वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्र0स0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	नक्शा में रंग
03	पनाराम पुत्र चमना 1/2 चुन्नीलाल उर्फ चेना उर्फ चुना पुत्र कानाराम कानाराम पुत्र लुम्बाजी बाबुलाल पुत्र कानाराम श्रीमती पोनी पत्नी भूराराम 1/2 हि. कौम सीरवी सा. देह खातेदार रहन पनाराम का हि. **S.B.I** शाखा रानी मुर्तहीन	615/3 616/1 617/1 618/1 683/1 684/1 685/2 687/2	0.09 0.04 0.03 0.04 0.04 0.20 0.04 0.14	बारानी द्वितीय बारानी द्वितीय बारानी द्वितीय बारानी द्वितीय बारानी द्वितीय बारानी द्वितीय बारानी द्वितीय बारानी द्वितीय	0.45 0.20 0.15 0.20 0.20 1.00 0.20 0.70	भुरा रंग
		08	0.62 हैक्टर	–	3.10	

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा प्रार्थीया नेनूदेवी की ओर से दिनांक 17.01.2018 को प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर प्रकरण में प्रार्थीया नेनूदेवी हितबद्ध पक्ष होने से प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। जिस प्रार्थना पत्र पर वादी अधिवक्ता का जवाब प्राप्त कर प्रकरण में वकुलाय की बहस के पश्चात् दिनांक 7.03.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. खारिज करते हुये प्रकरण को तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन रिपोर्ट के अनुसार फाईनल डिक्री की बहस के लिये रखा गया। जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी श्री अमृत परिहार द्वारा दिनांक 02.04.2019 को प्राप्त पी.डी रिपोर्ट के संबध में आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस आपत्ति प्रार्थना पत्र पर वकील वादी द्वारा जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् प्रकरण में उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई।

विद्वान् वकील प्रतिवादी श्री अमृत परिहार द्वारा बहस में आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि विभाजन रिपोर्ट तहसीलदार, बाली ने तैयार नहीं कर हल्का, पटवारी एवं भू0 अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार करते हुये तहसीलदार, बाली द्वारा पेश की गई है, जिससे रिपोर्ट नये सिरे से भूमिधारी तहसीलदार, बाली से मंगाया जाना आवश्यक हैं। अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को बहस में आगे दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रस्तावित विभाजन रिपोर्ट कुल–04 खातो की भूमि के संबंध में पेश की गई है, जिन भूमियों के अधिकार अभिलेखों में खाता संख्या–51 की भूमियों में प्रतिवादी संख्या–04 श्रीमति पोनी सह खातेदार नहीं होते हुये, विभाजन रिपोर्ट में उक्त खाता की भूमियो में विभाजन रिपोर्ट में 1/4 हिस्सा में पोनी को सह खातेदार बता दिया, इसी प्रकार खाता संख्या–52 की भूमियों के अधिकार अभिलेखों में पोनी को कोई हक अधिकार नहीं होते हुये विभाजन रिपोर्ट में पोनी को बतौर सह खातेदार दर्शा दिया, इसी प्रकार खाता संख्या 121 की भूमियों में प्रतिवादी संख्या–02 एवं 04 के कोई हक अधिकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होते हुये प्रतिवादी संख्या–02 व 04 को विभाजन रिपोर्ट में बतौर सह खातेदार दर्शा दिया, इसी प्रकार खाता संख्या 131 की भूमियों में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को अधिकार अभिलेखों में कोई हक अधिकार नहीं होते हुये विभाजन रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को खाता संख्या 131 की भूमियो में सह खातेदार दर्शा दिया गया, जिससे सभी खातो की अलग–अलग रेकर्ड में दर्ज हिस्सो के अनुसार विभाजन की रिपोर्ट पुनः तलब करने के पश्चात् ही प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जावे। इसके विपरित अधिवक्ता वादी श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में वकील प्रतिवादी की दलीलो का खण्डन करते हुये बहस में प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र के जवाब को दोहराते हुये दलील दी कि प्रकरण हाजा में जो विभाजन रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वह भूमिधारी तहसीलदार के हस्ताक्षरो से तैयार कर पेश की गई है, जो किसी भी स्थिति में गैर कानूनी नहीं हैं, तहसीलदार, बाली ने अपनी संतुष्टी हेतु कोई पत्र व्यवहार अपने अधिनस्थ राजस्व कर्मचारियों से किया है, तो उसके आधार पर तहसीलदार की रिपोर्ट को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता हैं। अपनी बहस को आगे बढाते हुये वकील वादी ने पद संख्या–02 में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर दलील दी कि वादी ने उक्त वाद खाता संख्या 51 की भूमि के खसरा नंबर 609, 615, 616, 617, 618 एवं खाता संख्या 52 की भूमि के खसरा नंबर 685, 689, 690, 691, एवं खाता संख्या 121 की भूमि के खसरा नंबर 685, 687 व खाता संख्या 131 की भूमि के खसरा नंबर 683, 684 के संपुर्ण रकबा भूमि के बंटवाडा का पेश किया गया है, जिन संपुर्ण भूमियों में वादी का 1/2 हिस्सा स्वीकृत शुदा है, इस संपुर्ण रकबा भूमि का बंटवाडा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भौतिक रूप से वाद पेश करने के 30 वर्षो पूर्व किया जा चुका हैं, तथा सभी पक्षकार अलग–अलग काबिज होकर काश्त करते आ रहे है, जिसको दर्शाते हुये एक नजरी नक्शा भी वादी की तरफ से वादपत्र के साथ बनाकर पेश किया गया हैं। जिस 1/2 हिस्सा को वादी व प्रतिवादीगण ने राजस्व लोक अदालत केम्प मौकमपुरा में स्वीकार किया है,

पेज लगातार..................05

कार्यालय उप - खण्ड अधिकारी

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

तथा इसी आधार पर भू० अभिलेख निरीक्षक से बंटवाडा रिपोर्ट मंगवाने का आग्रह पक्षकारान् द्वारा केम्प में किया गया था। इसी के मध्य नजर न्यायालय ने वादग्रस्त संपुर्ण भूमि के 1/2 हिस्से का वादी व 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 01 से 04 को संयुक्त रूप से हिस्सेदार मानते हुए बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का आदेश दिनांक 9.6.2017 को पारित किया था, जिस प्राथमिक डिक्री को आपत्ति के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसको निरस्त करवाने का एकमात्र जरिया अपील ही हैं, इस प्रकार प्राथमिक डिक्री को निरस्त करवाने हेतु पेश आपत्तियो का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। आपत्ति के पद संख्या–03 के संबध में दलील दी कि जब न्यायालय द्वारा खाता संख्या 51, 52, 121, 131 के सह खातेदारान् को प्राथमिक डिक्री में 1/2 हिस्से का खातेदारान् व वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार मान लिया है, तो उस प्राथमिक डिक्री दिनांक 9.6.2017 को इस आपत्ति प्रार्थना पत्र के जरिये चुनौति नहीं दी जा सकती है, इसके अतिरिक्त दलील दी कि प्रतिवादी संख्या 01 से 04 सभी एक ही परिवार से संबंध रखते है तथा आपस में पिता–पुत्र व भाई की पत्नि है, जिन्होनें राजस्व रेकर्ड में खाते भी अलग–अलग नाम से इन्द्राज कर रखे हैं, जबकि उनके शामलात में कृषि भूमि रही है, तथा वाद पेश करने के 30 वर्ष पुर्व जब बंटवाडा हुआ तब वादी को उसके 1/2 हिस्से पर अलग कब्जा प्राप्त हुआ, तथा प्रतिवादीगण जो एक ही परिवार से संबंध रखते थे, उन्हे 1/2 हिस्से का अलग कब्ला प्राप्त हुआ, मौके पर इसी अनुसार काबिज होकर काश्त की जा रही हैं, जिस कारण बंटवाडा रिपोर्ट सही प्राप्त हुई है, तथा उसको स्वीकार करते हुये अंतिम डिक्री पारित किया जाना न्याय संगत बताया। बहस में अंत में दलील दी कि प्रतिवादीगण सभी एक ही परिवार से संबंध रखते हैं, जिस कारण उनके आपस में उनके हिस्से में आई भूमि का विभाजन जो भी मौके पर किया गया है या किया जाना है, उस रकबा भूमि का बंटवाडा करवाने हेतु वे स्वतंत्र है, इस कारण इस आपत्ति प्रार्थना पत्र के आधार पर वादी के 1/2 हिस्सा अनुसार बंट में आई भूमि के संबध में किसी प्रकार की आपत्ति के अधिकार नहीं है, प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी का 1/2 हिस्सा मानते हुये प्राथमिक डिक्री जारी करते समय प्रतिवादी संख्या–01 ने भी स्वीकार किया था, जिस पर ही वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी का 1/2 हिस्सा मानते हुये दिनांक 9.6.17 को पारित की गई थी, तथा उसके आधार पर ही तहसीलदार भूमिधारी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है, जिस रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया एवं विद्वान् वकील वादी श्री गणपतलाल चौधरी एवं वकील प्रतिवादी श्री अमृत परिहार की तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के संबध में प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस में की गई दलीलो पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दिनांक 09.06.2017 को पारित प्राथमिक डिक्री आदेश के अवलोकन से यह प्रमाणित हैं कि दिनांक 09.06.2017 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या–01 चुन्नीलाल एवं प्रतिवादी संख्या–04 के पति की संयुक्त सहमति के आधार पर मजमा–ए–आम में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित ग्राम माताजीवाडा की चार खातो यथा खाता संख्या–51, 52, 121, 131 में वर्णित सभी खसराजात की भूमियों में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा विभाजन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा चुकी है, जिस विभाजन रिपोर्ट के संबध में प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 के अधिवक्ता द्वारा यह आपत्ति करना कि विभाजन रिपोर्ट सभी खातो की अलग–अलग आनी चाहिये, मानने योग्य नहीं है, क्योंकि वाद में वर्णित भूमि एक ही राजस्व ग्राम में स्थित है, तथा सभी खातो की भूमियों में वादी का 1/2 हिस्सा अधिकार अभिलेखों में दर्ज है, इसके साथ दूसरी आपत्ति वकील प्रतिवादी की यह भी हैं कि प्रतिवादी संख्या–04 वादपत्र में वर्णित भूमियों में खातेदार नहीं है तथा खाता संख्या–121 की भूमि में प्रतिवादी संख्या–02 भी खातेदार नहीं होते हुये विभाजन रिपोर्ट में इन्हे शामिल कर लिया गया है। हस्तगत् प्रकरण में यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हैं कि सभी भूमियों में वादी का 1/2 हिस्सा अधिकार अभिलेखों में दर्ज है, तथा तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट में भी वादी के 1/2 हिस्सा अनुसार 30 वर्ष पुर्व पक्षकारो के मध्य मौके पर किये गये विभाजन के अनुसार रिपोर्ट पेश की है, इसके साथ ही प्रकरण में यह भी प्रमाणित हैं कि प्रतिवादी संख्या–01 से 04 सभी एक ही परिवार के सदस्य है, जो आपस में पिता–पुत्र व भाई की पत्नि है, जिनके मध्य भी संयुक्त सह खातेदारी भूमियो का 30 वर्ष पुर्व मौके पर विभाजन होने से उन्हे न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2017 को जारी प्राथमिक डिक्री आदेश मे 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित करने से तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है। प्रतिवादी संख्या–01 से 4 के मध्य यदि किसी प्रकार का विवाद है तो इसके लिये वादी के वादपत्र पर न्यायालय द्वारा दिनांक 9.6.2017 को जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार वादी के 1/2 हिस्सें अनुसार उसके बंट में प्रस्तावित की भूमि के संबध में विभाजन की डिक्री जारी करने से वंचित नही किया जा सकता है।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी (राज.)

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.........06

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 104/2016 अनवान पन्नाराम बनाम चुन्नीलाल उर्फ चेना उर्फ चुना वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रतिवादी संख्या 01 से 04 एक ही परिवार से संबध रखते है, जिनके आपस में किसी प्रकार का विवाद है, तो प्रतिवादी संख्या–01 व 02 इस हेतु पृथक से चारा जोही कर सकते है। हस्तगत् प्रकरण में प्राथमिक डिक्री भी प्रतिवादी संख्या–01 की सहमति के आधार पर दिनांक 9.6.2017 को मजमा–ए–आम में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है, जिससे विधि अनुसार प्रतिवादी संख्या–01 उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का एतराज/ आपत्ति उठाने का अधिकारी ही नही रहता है। वकील प्रतिवादी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 9.6.2017 को चुनौती दी जा रही है, जो चुनौती अपील के माध्यम से ही दी जा सकती है। जिससे बाद अवलोकन पत्रावली व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वकील प्रतिवादी श्री अमृत परिहार द्वारा तहसीलदार, बाली से प्राप्त पी.डी. रिपोर्ट के संबध में की गई तमाम आपत्तियों को अस्वीकार करते हुये प्रकरण में ग्राम माताजीवाडा तहसील बाली में स्थित खाता संख्या 51, 52, 121, 131 में वर्णित भूमियों के संबध में तहसीलदार, बाली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2017/2657 दिनांक 05.12.2017 से प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

क्र0सं0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	नक्शा में रंग
1	पनाराम पुत्र चमना कौम सीरवी सा. देह खातेदार रहन **S.B.I** शाखा रानी मुर्तहीन	609	0.15	बारानी द्वितीय	0.75	हल्का आसमानी
		615/2	0.75	बारानी द्वितीय	3.75	
		616	1.96	बारानी द्वितीय	9.80	
		617	0.34	बारानी द्वितीय	1.70	
		618	1.93	बारानी द्वितीय	9.65	
		683/2	1.27	बारानी द्वितीय	6.35	
		683/4	1.43	बारानी द्वितीय	7.15	
		684/3	2.47	बारानी द्वितीय	12.35	
		685	1.58	बारानी द्वितीय	7.90	
		687/1	3.15	बारानी द्वितीय	15.75	
		688/1	0.60	बारानी द्वितीय	3.00	
		689/1	0.60	बारानी द्वितीय	3.00	
		690	0.54	बारानी द्वितीय	2.70	
		691	1.05	बारानी द्वितीय	5.25	
	कुल खसरा–	14	17.82	–	89.10	
2	चुन्नीलाल उर्फ चेना उर्फ चुना पुत्र कानाराम कानाराम पुत्र लुम्बाजी बाबुलाल पुत्र कानाराम श्रीमति पोनी पत्नी भूराराम कौम सीरवी सा. देह खातेदार	615	0.70			लाल रंग
		615/1	0.87			
		617/2	1.38			
		618/2	1.53			
		683	0.35			
		683/3	1.51			
		683/5	0.20			
		684	1.22			
		684/2	0.66			
		684/4	1.45			
		685/1	1.31			
		687	1.18			
		687/3	4.84			
		688	1.36			
		689	1.10			
	कुल खसरा–	15	19.67	–	98.35	
03	पनाराम पुत्र चमना 1/2 चुन्नीलाल उर्फ चेना उर्फ चुना पुत्र कानाराम कानाराम पुत्र लुम्बाजी बाबुलाल पुत्र कानाराम श्रीमती पोनी पत्नी भूराराम 1/2 हि. कौम सीरवी सा. देह खातेदार रहन पनाराम का हि. **S.B.I** शाखा रानी मुर्तहीन	615/3	0.09	बारानी द्वितीय	0.45	भुरा रंग
		616/1	0.04	बारानी द्वितीय	0.20	
		617/1	0.03	बारानी द्वितीय	0.15	
		618/1	0.04	बारानी द्वितीय	0.20	
		683/1	0.04	बारानी द्वितीय	0.20	
		684/1	0.20	बारानी द्वितीय	1.00	
		685/2	0.04	बारानी द्वितीय	0.20	
		687/2	0.14	बारानी द्वितीय	0.70	
		08	0.62	–	3.10	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली (राज.)

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार......07

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 104/2016 अनवान पन्नाराम बनाम चुन्नीलाल उर्फ चेना उर्फ चुना वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमम, 1955

कुल लगान राशि 190.50 रुपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, मौखमपुरा को लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उप - खण्ड अधिकारी, बाली
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 12-9-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ... (राज.)

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उप - खण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

इजलास श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई (आर.ए.एस.)

वादी :–

पन्नाराम पुत्र समनाजी जाति सीरवी

निवासी माताजी वाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. चुन्नीलाल उर्फ चेना उर्फ चुना पुत्र कानारामजी
2. कानाराम पुत्र लुम्बाजी
3. बाबुलाल पुत्र कानारामजी
4. श्रीमति पोनी पत्नि भूरारामजी जातिगण सिरवी
   निवासीगण माताजी वाडा तहसील बाली
5. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व प्रकरण संख्याः 104/2016

वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई व वकील प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

ग्राम माताजीवाडा तहसील बाली में स्थित खाता संख्या 51, 52, 121, 131 में वर्णित भूमियों के संबध में तहसीलदार, बाली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2017/2657 दिनांक 05.12.2017 से प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

क्र0सं0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	नक्शा में रंग
1	पनाराम पुत्र चमना कौम सीरवी सा. देह खातेदार रहन **S.B.I** शाखा रानी मुर्तहीन	609	0.15	बारानी द्वितीय	0.75	हल्का आसमानी
		615/2	0.75	बारानी द्वितीय	3.75	
		616	1.96	बारानी द्वितीय	9.80	
		617	0.34	बारानी द्वितीय	1.70	
		618	1.93	बारानी द्वितीय	9.65	
		683/2	1.27	बारानी द्वितीय	6.35	
		683/4	1.43	बारानी द्वितीय	7.15	
		684/3	2.47	बारानी द्वितीय	12.35	
		685	1.58	बारानी द्वितीय	7.90	
		687/1	3.15	बारानी द्वितीय	15.75	
		688/1	0.60	बारानी द्वितीय	3.00	
		689/1	0.60	बारानी द्वितीय	3.00	
		690	0.54	बारानी द्वितीय	2.70	
		691	1.05	बारानी द्वितीय	5.25	
	कुल खसरा–	**14**	**17.82**	–	**89.10**	

2	चुन्नीलाल उर्फ चेना उर्फ चुना पुत्र कानाराम कानाराम पुत्र लुम्बाजी बाबुलाल पुत्र कानाराम श्रीमति पोनी पत्नी भूराराम कौम सीरवी सा. देह खातेदार	615	0.70			लाल रंग
		615/1	0.87			
		617/2	1.38			
		618/2	1.53			
		683	0.35			
		683/3	1.51			
		683/5	0.20			
		684	1.22			
		684/2	0.66			
		684/4	1.45			
		685/1	1.31			
		687	1.18			
		687/3	4.84			
		688	1.36			
		689	1.10			
	कुल खसरा–	**15**	**19.67**	-	**98.35**	

पेज लगातार. 02

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	नक्शा में रंग
पनाराम पुत्र चमना 1/2 चुन्नीलाल उर्फ चेना उर्फ चुना पुत्र कानाराम कानाराम पुत्र लुम्बाजी बाबुलाल पुत्र कानाराम श्रीमती पोनी पत्नी भूराराम 1/2 हि. कौम सीरवी सा. देह खातेदार रहन पनाराम का हि. **S.B.I** शाखा रानी मुर्तहीन	615/3 616/1 617/1 618/1 683/1 684/1 685/2 687/2	0.09 0.04 0.03 0.04 0.04 0.20 0.04 0.14	बारानी द्वितीय बारानी द्वितीय बारानी द्वितीय बारानी द्वितीय बारानी द्वितीय बारानी द्वितीय बारानी द्वितीय बारानी द्वितीय	0.45 0.20 0.15 0.20 0.20 1.00 0.20 0.70	भुरा रंग
	08	0.62	--	3.10	

कुल लगान राशि 190.50 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर फाईनल डिक्री पर्चा जारी किया गया। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, मौखमपुरा को लिखा जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16-9-2019 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, बाली

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sreenidhi B T
Date: 2019.11.29 15:28:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: